

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं० 751
अन्तर्गत धारा 111-128 आरटीए

निर्णय दिनांक:- 03-07-18

इसका मत दि. 03-07-18 :: निर्णय ::

प्रार्थी श्री कोलखंडा खाटा

जति 111 उम 34 नि० कोलखंडा खाटा तहसील डूंगरपुर ने न्याय आफके द्वार अभियान 2018 लोक अदालत कोलखंडा खाटा दिनांक 03-07-18 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 ले०/१० एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा कोलखंडा खाटा स्थित समिति

नेपडा में स्थित खाता संख्या 281 पर आराजी नं० 3420 कुल 3 बीघा 1 बिस्वा कित्ता 1 योग रकबा 3-01 बिघा पर प्रार्थी नालिक काबिज होकर कृषि काश्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (बेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है। करते हैं और लड़ाई झगडा करते हैं। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगढी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी धनराज पिंपिया नि० कोलखंडा खाटा भी पत्थरगढी करने की सहमति दी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम कोलखंडा खाटा के खसरा नं० 3424 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा कुल कित्ता 1 योग रकबा 1-01 बिघा की जमाबंदी सन्वत् 2069-72 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अपलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काश्तकार है और विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा कोलखंडा खाटा में स्थित खाता संख्या 281 पर आराजी नं० 3420 रकबा 3-01 बिघा कुल कित्ता 1 योग रकबा 3-01 बिघा की पत्थर गढी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा कोलखंडा खाटा में स्थित खाता संख्या 281 पर आराजी नं० 3420 रकबा 3-01 बिघा कुल कित्ता 1 योग रकबा 3-01 बिघा विवादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदा, डूंगरपुर भू०/१० निरीक्षक गुनली के नेतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गढी की जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगढी शुल्क रु० 200/- प्रार्थी स्वयं राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फीरल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

a
उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर